



कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा -22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) की श्रेणी-IV हेतु पंजीकृत स्नातक (XI) के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

अतः स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो विश्वविद्यालय सभा की सदस्यता हेतु अर्ह है, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क रू० 51/- के साथ कुलसचिव कार्यालय में 31 मार्च, 2022 तक जमा कर सकते है।

पंजीकृत स्नातक के रूप में सदस्यता हेतु आवेदन पत्र, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. माननीय कुलपति जी।
02. वित्त अधिकारी।
03. प्रो० सैय्यद हैदर अली, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण को आवेदन-पत्र का प्रारूप छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु।
04. डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक।
05. डॉ० अताउर्रहमान आजमी, उप- परीक्षा नियंत्रक।
06. समस्त माननीय सदस्यगण विश्वविद्यालय सभा।
07. समस्त माननीय सदस्यगण कार्य परिषद्।
08. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य।
09. वेबसाइट एडमिनिस्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
10. सम्बन्धित पत्रावली।

Handwritten signature
30/11/2021
(अर्चना जोहरी)
उप कुलसचिव

OLC

Handwritten signature



स्नातकों का पंजीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

(विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अनुसार)

- 4.04— कुलसचिव अपने कार्यालय में पंजीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।
- 4.05— रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे :—
- (क) पंजीकृत स्नातकों का नाम तथा पता :
- (ख) उनके स्नातक होने का वर्ष :
- (ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहां से वे स्नातक हुये:
- (ड.) ऐसे अन्य ब्यौरे, जिनके बारे में कार्य परिषद् समय-समय पर निर्देश दे।
- टिप्पणी — ऐसे पंजीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे, जिनकी मृत्यु हो गयी हो।
- 4.06— विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर और इक्यावन रूपया की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से पंजीकृत कराने का हकदार होगा, जिसमें वह उपाधि प्रदान की गयी थी व उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गयी होती, जिसके आधार पर उसका नाम पंजीकृत करना है। आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 4.07— आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक् रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर पर दर्ज करेगा।
- 4.08— कोई पंजीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून, को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।
- 4.09— कोई पंजीकृत स्नातक धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन खड़े होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज हो:
- परन्तु यह कि तीन वर्ष का प्रतिबन्ध सभा के पंजीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।
- 4.10— धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित पंजीकृत स्नातकों क प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास, छात्र-निवास की की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायेगा और इस प्रकार रिक्त हुये स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायेगा।
- 4.11— कोई पंजीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो, पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर पिनियम 3.04 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- 4.12— इस अध्याय के अधीन पंजीकृत स्नातकों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।
- 4.13— सभा के सदस्यों क कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

पंजीकृत स्नातक का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

कुलसचिव

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
लखनऊ।

महोदय,

आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 4.06 के अनुसार "पंजीकृत स्नातकों की पंजिका में" मेरा नाम प्रतिष्ठित करने की कृपा करें।

मैंने निर्धारित शुल्क रु.51/- विश्वविद्यालय में जमा कर दिया है। जिसकी पावती मूलरूप में संलग्न की जाती है।

भवदीय

तिथि :

स्थान :

(हस्ताक्षर)

नाम :

वर्तमान पता :

(पिन कोड सहित)

स्थायी पता :

वर्तमान व्यवसाय :

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ से उपाधि उत्तीर्ण करने का वर्ष उपाधि वर्ष

(कृपया अंक तालिका / उपाधि की छायाप्रति संलग्न करें।)

टिप्पणी : पंजीकरण के लिये आवेदन देने वाले स्नातक आवेदकों से यह अनुरोध किया जाता है कि स्थायी एवं पत्राचार पते में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन या व्यवसाय के परिवर्तन से कुलसचिव को पंजीकरण संख्या का उल्लेख करते हुए अवगत कराते रहें।